

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प. 4(1)साप्र/5/09पार्ट

जयपुर, दिनांक: 31.12.2013


आज्ञा

ट्रांजिट होस्टल, जयपुर का आंवटन इस विभाग के दिशा-निर्देश संख्या एफ. 7(2)साप्र/5/06 दिनांक 27.10.06 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आवास उपलब्ध होने तक जो भी पूर्व हो, तक के लिए निम्नांकित शर्तों पर आवंटित किया जाता है -

1. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार किराया भत्ता देय नहीं होगा ।
2. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि अग्रिम वसूली की जावेगी ।
3. संबंधित अधिकारी के विरुद्ध ट्रांजिट होस्टल, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावें ।
4. ट्रांजिट होस्टल के आवास में रहने वाले प्रत्येक अधिकारी को मूल वेतन का प्रमाण, प्रबन्धक, ट्रांजिट होस्टल को प्रस्तुत करना होगा ।
5. स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा प्रबन्धक ट्रांजिट होस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा आवास तत्काल रिक्त करना होगा ।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वरियता संख्या	आंवटित आवास संख्या
1	श्री वीरेन्द्र कविया उप निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर	19	जी-1/2
2	श्री बनवारी लाल मौणा अतिरिक्त आयुक्त, टी.ए.डी. जयपुर	33	जी-1/4
3	डॉ. फारूक खान, सहायक आचार्य सर्जरी एस. एम. एस. अस्पताल जयपुर	51	जी-2/2


राज्यपाल की आज्ञा से


31.12.13

(मुन्नालाल शर्मा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावें । निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षित अधिकारी को आवंटित कर दिया जायेगा ।
2. प्रबन्धक, ट्रांजिट होस्टल, जयपुर ।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष ।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय/कोषाधिकारी, शहर, जयपुर ।
5. सहायक शासन सचिव, सा0 प्र0(ग्रुप-2)विभाग ।
6. रक्षित पत्रावली ।


शासन सहायक सचिव 31.12.13